

## DR. KHOOBCHAND BAGHEL GOVT. PG COLLEGE

Bhilai-3, Dist: Durg, Chhattisgarh
Reaccredited Grade "B" By NAAC
Registered Under Section 2(F) & 12(B) of UGC Act
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg (C.G.)



## **MONITORING SCREEN**



## **HELP DESK**




## **CCTV**







## **COMPLAINT AND SUGGESTION BOX**




#### **COMMITTEE DISPLAY**



Long 81.440439°

22/12/22 04:21 PM GMT +05:30



## त्तर महाविद्यालय त.) त सेवाओं

सक्षम अधिकारी	अनुविभागीय
छा नाम पदनाम	अधिकारी
एवं कार्यालय	का नाम कार्यालय
का पता	का पता
5.	6.
कलेक्टर	संभागीय आयुवत
जिला - दुर्ग	संभाग - दुर्ग
क्लेक्टर	संभागीय आयुवत
जिला - दुर्ग	संभाग - दुर्ग
क्लेवटर	संभागीय आयुवत
जिला - दुर्ग	संभाग - दुर्ग
कतेवटर	संभागीय आयुवत
जिला - दुर्ग	संभाग - दुर्ग
कलेवटर	संभागीय आयुवत
जिला - दुर्ग	संभाग - दुर्ग
(हिन्दी )	

वय के

प्राध्यापक(हिन्दी)

ाशाला तकगीशियग

च. शिक्षा विभाग ब्लॉक सी-30, त कर सकते हैं।

# ड्रॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## <mark>छत्तीसगढ अधिनियम (क्र-27 सन् २००१)</mark> छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडना का प्रतिषेध अधिनियम २००१

(दिनांक १७ जनवरी २००२ को राज्यपात की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति छत्तीसगढ़ रापत्र (असाधारण) में दिनांक १७ जनवरी २००२ को प्रथम बार प्रकाशित की गयी )

राज्य की श्रीक्षणिक संस्थाओं में रैनिंग तथा उनसे संबंधित मामतों और अनुशांगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा निम्नत्विस्तत रूप में यह अधिनियमित हो अर्थात् :-

- (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ श्रैक्षणिक संस्थाओं में प्रताङ्ना का प्रतिषेध अधिनियम २००१(क्र. २७ सन् २००१) होगा
  - (२) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ में होगा।
  - (३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- timuchu.
- (क) रैंगिंग से अभिप्रेत हैं किसी छात्र को मजाकपूर्ण ब्ववहार से या अन्य प्रकार से ऐसा करने के तिये उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों को हनन या उसके ब्यक्तित्व का अपमान या उपहास, अभिदर्शित होता हो, या उसे अभित्रास, सदोष, अवशेध, सदोष, परिशेध या क्षति, या उस पर आपस्यिक बल के प्रयोग या सदोष अवशेध, सदोष परिशेध, क्षति या अपस्यिक बल प्रयोग कर अभित्रास देते हुए किसी विधिपूर्ण कार्य से प्रविस्त करता हो।

(ख) "शैक्षणिक संस्था" में शासकीय, स्वशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाए शामिल है ।

- 3. रैमिंग का प्रतिषेध :- किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या अन्य प्रकार से रैमिंग में भाग नहीं लेगा |
- 4. टंड यदि कोई व्यक्ति धारा ३ के उपबंधों का उल्लंधन करता है या करने का प्रयास करता या रैगिंग करने के लिए दुश्रीरित करता है तो वह या तो कारावास से जो ५ वर्ष से अधिक होगी या जुर्जाने से जो ५ हजार रूपये से अधिक नहीं होगी या दोनों से दंडित किया जाएगा।
- अपराध का संदोय एवं मैर जमानतीय होना इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संदोय एवं मैर जमानतीय होगा।
- ६. अपचारों का विचारण -
- इस अधिनियम के अधीन दंडनीय, प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (२) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपसधों के अन्वेषण, जांच एवं विचारण में अपसंध प्रक्रिया संदिता, 1973(क्र.२ सन् १९७४ के उपबंध लागू होंगे।)
- ७. छात्र के निष्कासन के लिए निर्योग्यता -
- (1) इस अधिनियम के अन्वेषण का विचारण लंबित होने पर संस्था के प्रधान को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुवत को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा।
- (2) किसी श्रैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा -४ के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, श्रैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिए जिम्मेदार होगा।
- (3) ऐसा छात्र को जो संस्था का कोई निष्कासित किया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोश पाया गया हो किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्रायिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा

## डॉ. खूबचंद ह

## र्री

## रैगिंग क्या

रैगिंग के अन्तर्गत :-कोलाहतपूर्ण अनुचित व्यवस संतग्न होना जिससे नये छात्र आशंका या भय बढाने वाटा र कर सकता / सकती और जि


कर्नाटक शिक्षा अधिनियम !! इस प्रकार हैं - किसी छात्र क करना जो मानव- मर्यादा के डस-धमकाकर गतत ढंग से उसे इस प्रकार की धमकी, ग कार्य करने से मना करना !

रैगिंग का स्वरूप :- रैगिंग दि में पायी जाती है :-

- सीनियर को सर कहने वे
- सामूहिक कवायद करने
- सीनियरों के लिए वलास
- अपने सौंपे हुए कार्य कर
- अश्लील प्रश्न पूछने या उ
- नए छात्रो को अपने सीधे हेतु अश्लीत चित्रों को देख
- शराब, उबलती हुई चाय उ
- कामुक संकेतार्थ वाले क करने के लिए बाध्य करन
- ऐसे कार्य करने के लिए क्षति, मानसिक पीडा या
- = नंगा करना चुंबन तेना उ

छत्तीसगढ़ शैक्षा

GPS Map Camera



## Charoda, Chhattisgarh, India

6C6R+X8H, Mansarowar Colony, Bhilai Marshalling Yard, Charoda, Chhattisgarh 490025, India Lat 21.212833° Long 81.440518°

22/12/22 04:22 PM GMT +05:30



## **GIRLS COMMON ROOM**



## YOUTH RED CROSS SOCIETY



#### HANDMADE ECO-FRIENDLY RAKHI



## **EGGLESS BAKING CLASS (VALUE ADDED COURSE)**



## **INDIAN PAINTING (VALUE ADDED COURSE)**



## **WORLD AIDS DAY**

